प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधन को वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कारोबारी परिवेश एवं उद्योग परिदृश्य, उद्योग जोखिम और अवसर तथा कंपनी के कार्य–निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है।

व्यापार परिवेश

वैश्विक कारोबार परिवेश

कोविड – 19 महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को एक बड़ा झटका लगा, रोजगार के संकट पैदा हुए, असमानताएं बढ़ गईं और इसने 131 मिलियन अतिरिक्त लोगों को गरीबी की ओर धकेल दिया। आईएमएफ की अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में –3.3% के अनुमानित संकुचन के उपरांत, 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, इसके बाद 2022 में इसके 4.4% तक उदार होने और मध्यावधि में 3.3% तक मध्यम होने की संभावना है। सरकारी प्रतिबंधों और निजी निर्णयों के कारण, महामारी के उपरांत आर्थिक परिदृश्य और नीतियों में अनिश्चितता, कम निवेश, धीमी मानव पूंजी संचय के परिणामस्वरूप शिक्षा में व्यवधान, वैश्विक मूल्य श्रृंखला की व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन में मंदी से कम व्यक्तिगत बातचीत से आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई हैं। हालांकि, महामारी को लेकर अभूतपूर्व नीतिगत प्रतिक्रिया से अनेक राहत मिली हैं। इसलिए, कोविड – 19 के कारण आई मंदी 2008 में आए वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में कम असर होने की संभावना है।

वर्ष 2020 में वस्तुओं और सेवाओं को वैश्विक व्यापार अनुमानित 7.6% संकुचित हुआ है, जो वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में थोड़ा कम संकुचन है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अपने पूर्व–महामारी स्तर के एक अंश पर बनी हुई है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मास्यूटिकल्स एवं निजी सुरक्षा उपकरणों की मजबूत मांग के कारण, 2020 के मध्य से वैश्विक वाणिज्यिक व्यापार में सुधार हो रहा है। वाणिज्यिक व्यापार में सुधार का नेतृत्व चीन और अन्य पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किया गया है, जो वायरस के प्रसार को रोकने में अपेक्षाकृत सफल रही हैं और उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में अपेक्षा से अधिक तेजी से सुधार का अनुभव किया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को 2020 की दूसरी छमाही में कोविड –19 के तेज पुनःत्थान का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक प्रतिक्षेप में कमी आई। 2021 और उसके बाद की अपेक्षित रिकवरी महामारी के विकास, इसकी उत्तरवर्ती लहरों और टीकाकरण अभियान की प्रभावशीलता पर बहुत अधिक निर्भर करेगी।

एक महत्वपूर्ण वित्तीय और मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में आर्थिक आपदा को टालने में समर्थ रहा। एक के–आकार की रिकवरी जारी है, जहां महामारी की अत्यधिक चपेट में आने वाले उद्योगों और आवासों को सहायता की आवश्यकता है, ताकि दीर्घकालिक आर्थिक संकट को रोका जा सके। माल उद्योग अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि महामारी में वस्तुओं की खपत में 3.9% की वृद्धि देखी गई है। कई परिवारों ने वर्क–फ्रॉम–होम (अपने घर से काम करने) के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समय बचाने वाले सामान और गैजेट खरीदे। इसी दौरान 2020 में सेवाओं की खपत में 7.3% की गिरावट आई। सेवा–उद्योग के कई हिस्से अभी भी मांग और आपूर्ति के झटके से प्रभावित हैं। रिकवरी के लिए ट्रेजेक्टरी एक सहायक नीति परिवेश पर निर्भर है। फर्मों और आवासों के बीच तकनीकी जानकारी के स्तर में संभावित बदलाव से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। केपीएमजी वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, मार्च 2021 के अनुसार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ठीक होने और 2021 में 5.9% और 2022 में 4.3% तक बढ़ने की संभावना है।

चीन में, तेजी से किंतु असमान रूप से आर्थिक सुधार हुआ, जिसमें उपभोक्ता सेवाएं औद्योगिक उत्पादन से पीछे रहीं। 2020 में पुनरुद्धार मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्यात आधारित था। केपीएमजी वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, मार्च 2021 के अनुसार चीनी अर्थव्यवस्था के 2021 में 8.8% और 2022 में 5.4% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसकी तुलना में, जापानी अर्थव्यवस्था के 2021 में 2.3% और 2022 में 2.1% बढ़ने की संभावना है। .

इस महामारी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में, जब महामारी की पहली लहर अपने चरम पर थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष–प्रति–वर्ष 24.4% की कमी आई, जिसके बाद संकुचन कम होने लगा। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के जोरदार प्रयासों और लॉकडाउन में धीरे–धीरे छूट के कारण, भारत वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही तक तकनीकी मंदी से बाहर निकल गया था और चौथी तिमाही में, भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.6% की वृद्धि हुई थी। पूरे वित्त वर्ष 2021 के लिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की कमी आई है।

आईएमएफ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021–22 में भारत की जीडीपी में 9.5% तक बढ़ोतरी होगी, जो उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, इसके बाद वित्त वर्ष 2022–23 में 8.5% की अपेक्षित वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 6.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ बड़े पैमाने पर निजीकरण की प्रक्रिया, स्वास्थ्य देखभाल और पूंजी निर्माण पर वृद्धिशील व्यय के आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। हालांकि, इस तेजी को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों में सामान्य मानसून, कोविड –19 महामारी की रोकथाम में सफलता और लागत के दबाव से अप्रभावित रहने वाले विवेकाधीन खर्च, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की उच्च कीमतों के फलस्वरूप सृजित कारक शामिल हैं।

आर्थिक गतिविधियों में और प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास से समर्थित, 2021 में दुनिया भर में बिजली की मांग 4.5% तक बढ़ने की संभावना है। कम कार्बन ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन से, ऊर्जा मिश्रण में अधिक विविधता, अत्यधिक उपभोक्ता पसंद, स्थानीयकृत ऊर्जा बाजार और एकीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर के साथ वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के मूलभूत से पुनर्गठन किए जाने की संभावना है। ये परिवर्तन इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि वैश्विक ऊर्जा प्रणालियाँ निम्न कार्बन की ओर परिवर्तन कर रही हैं।

भारतीय कारोबारी परिवेश

आईएमएफ के वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 8.5 प्रतिशत पर रखने के साथ, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 ने वी–आकार के आर्थिक विकास पर भी ध्यान आकर्षित किया है, जो तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी आंतरिक शक्ति के लिए एक वसीयतनामा है।

वित्त वर्ष 2021 के दौरान और उसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने महामारी की स्थिति के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। आरबीआई ने सावधि ऋण किस्तों पर स्थगन करने, कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज की मोहलत देने, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में ढील देने, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए समाधान समय–सीमा का विस्तार करने और ऋण संस्थानों द्वारा अधिस्थगन को छोड़कर परिसंपत्ति वर्गीकरण ठहराव करने जैसे नियामक उपायों की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने, सिस्टम के साथ–साथ सेक्टर–विशिष्ट लिक्विडिटी को बढ़ाने और तनाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशंस (एलटीआरओ) और लक्ष्यकृत दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशंस (टीएलटीआरओ) भी शुरू किए हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों का चयन करने के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं थी, जबकि रिडेम्पशन दबाव को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ–एमएफ) के लिए एक विशेष लिक्विडिटी सुविधा शुरू की गई। इसके अलावा, 26 मार्च, 2021 को समाप्त एक वर्ष की अवधि के लिए सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों से घटाकर 3% कर दिया गया था। अप्रैल 2021 में देखी गई दूसरी लहर के बाद और आगे की आवश्यकता को महसूस करते हुए देश के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रेपो दर पर 50,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की छूट दी, ताकि अस्पतालों, निर्माताओं और व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल खर्च की व्यवस्था की जा सके।

कोविड–19 के कारण देश के बिजली क्षेत्र में सीमित व्यवधान देखा गया, क्योंकि विद्युत एक अनिवार्य सेवा है। अधिकांश राज्यों ने अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत देते हुए मांग में वृद्धि की सूचना दी। यह उछाल मुख्य रूप से मर्करी में जल्दी वृद्धि के साथ–साथ वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने के कारण हुआ, जो बिजली की खपत के कोविड–पूर्व स्तरों पर वापसी को दर्शा रहा है। विद्युत उत्पादन मिश्रण में उनके सापेक्षिक अंश में वृद्धि के साथ नवीकरणीय ऊर्जा एक उज्ज्वल स्थान पर पहुंच गयी है।

मार्च, 2021 में, देश में बिजली की खपत एक साल पहले इसी महीने की तुलना में 24.35% से बढ़कर 123.05 बिलियन यूनिट (बीयू) हो गई। मार्च 2020 में बिजली की खपत 98.95 बीयू दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2019–20 की तुलना में पूरे वित्त वर्ष 2020–21 में, देश में बिजली की खपत में 0.8% की कमी आई थी। यह मुख्य रूप से लॉकडाउन के परिणामस्वरूप औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की कम मांग के कारण था।

'सबके लिए बिजली' उपलब्ध कराने संबंधी भारत सरकार के फोकस ने देश में क्षमता आवर्धन को गति दी है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस – "गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी" रैंकिंग में भारत का रैंक 2020 में 22 वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में यह 137 वें स्थान पर था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020–21 में, भारत में बिजली उत्पादन 1,234 बीयू तक पहुंच गया।

उद्योग संरचना और विकास

उद्योग सिंहावलोकन

भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा जैसे पारंपरिक स्रोतों तथा पवन, सौर और कृषि एवं घरेलू कचरे जैसे गैर–पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन के साथ देश का बिजली क्षेत्र अत्यंत विविधता वाले क्षेत्र में से एक है। मार्च 2021 तक भारत में बिजली स्टेशनों की कुल स्थापित क्षमता 382 जीडब्ल्यू थी।

सरकार का लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन सहित) के महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल करना है, ताकि 2030 तक 450 गीगाबाइट की नवीकरणीय क्षमता तक पहुंच सके। सरकार 2022 तक सौर परियोजनाओं के माध्यम से 40 गीगावाट बिजली पैदा करने के अपने लक्ष्य के सहायतार्थ एक 'किराये पर छत' नीति को भी तैयार कर रही है।

उद्योग संरचना

उत्पादन

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 382 गीगावाट था, जिसमें राज्य क्षेत्र में 103,869 मेगावाट (27%), केंद्रीय क्षेत्र में 97,507 मेगावाट (26%) और निजी क्षेत्र में 180,774 मेगावाट (47%) शामिल हैं। देश भर के थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए वित्त वर्ष 2020–21 में संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ) केंद्र के लिए 61.78%, राज्य के लिए 44.68% और निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए 54.27% था। टाइप के अनुसार उत्पादन क्षमता के संदर्भ में, संस्थापित थर्मल क्षमता 2,34,728 मेगावाट (61.42%), संस्थापित हाइड्रो क्षमता (नवीकरणीय) 46,209 मेगावाट (12.09%) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरईएस–एमएनआरई) में संस्थापित क्षमता 94,434 मेगावाट थी (24.7%)। वर्ष 2020–21 के दौरान परमाणु क्षमता 6,780 मेगावाट (1.8%) रही। आरईसी–एमएनआरई (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) में छोटी पनबिजली परियोजनाएं, बायोमास गैसीफायर, बायोमास बिजली, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार देश में पारंपरिक विद्युत उत्पादन 1250.78 बीयू से घटकर 31 मार्च, 2021 को 1234.44 बीयू हो गया, जिसमें 1.31% की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट मुख्य रूप से पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर), जो कुल बिजली उत्पादन का लगभग 90% अंश है, से कम उत्पादन के कारण थी। पारंपरिक स्रोतों से कम उत्पादन आंशिक रूप से नवीकरणीय स्रोतों से उच्च उत्पादन द्वारा ऑफसेट किया गया था, जिसमें 5.8% की वृद्धि देखी गई थी। मार्च से मई 2020 की अवधि में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों से बिजली की मांग में भी भारी गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप देशव्यापी लॉकडाऊन और इनपुट, कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान और श्रमिकों की कमी हुई।

नवीकरणीय ऊर्जा

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, दुनिया का चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल संस्थापित क्षमता 94.43 गीगावॉट थी। इसमें 40.09 गीगावॉट सौर क्षमता, 39.24 गीगावॉट पवन क्षमता, 10.31 गीगावॉट बायो विद्युत और 4.79 गीगावॉट लघु हाइड्रो क्षमता शामिल है। इसके अलावा, कुल 49.7 गीगावॉट क्षमता वाली परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 25.91 गीगावॉट क्षमता वाली परियोजनाएं बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

वित्त वर्ष 2016–2020 के बीच 17.33% की सीएजीआर पोस्ट करते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा में संस्थापित उत्पादन क्षमता ने पिछले कुछ वर्षों में गति प्राप्त की है। सरकार का 2030 तक 450 गीगावॉट हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नवंबर 2020 में, सरकार ने पांच वर्ष की एक अवधि के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए 4,500 करोड़ रुपए की उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की। घरेलू विनिर्माण को और गति देने के लिए, सरकार 1 अप्रैल, 2022 से सौर पीवी सेल और सौर पीवी मॉड्यूल के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क लगाने पर भी सहमत हुई है।

पारेषण एवं वितरण

पारेषण

पारेषण क्षेत्र, विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण खंडों के विकास को जोड़े रखने की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। विद्युत वितरण मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक, पारेषण विद्युत उत्पादन स्टेशनों से बिजली की निकासी और लोड केंद्रों तक इसकी डिलीवरी की सुविधा को सुगम बनाता है। कमी वाले क्षेत्रों में बिजली के कुशल वितरण के लिए, पारेषण प्रणाली नेटवर्क को मजबूत करने, अंतर–राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली को बढ़ाने और राष्ट्रीय ग्रिड का आवर्धन करने की आवश्यकता है। विभिन्न विद्युत उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पादित बिजली की निकासी करने और उसे उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में पारेषण लाइनों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है। प्रचलित नॉमिनल अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनें ± 800 केवी एचवीडीसी और 765 केवी, 400 केवी, 230/220 केवी, 110 केवी और 66 केवी एसी लाइनें हैं।

देश का विद्युत पारेषण क्षेत्र पिछले पांच वर्षों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी रहा है। देश के ग्रिड विस्तार लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी बोली को अंतर–राज्य और अंतरा–राज्य दोनों स्तरों पर गति मिलती है। भौतिक ग्रिड अवसंरचना के विस्तार के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर और सीमा पार लिंक जैसे कई ग्रिड–विस्तार कार्यक्रम प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा, केंद्र और राज्य स्तर पर पारेषण यूटिलिटीयों से ग्रिड को अधिक विश्वसनीय, तन्यक, सुरक्षित और स्मार्ट बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश करने की उम्मीद है। विद्युत अधिनियम संशोधनों और प्रशुल्क नीति संशोधनों सहित मुख्य नीतिगत सुधारों से भी इस क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल 16,462 सीकेएम (सर्किट किलोमीटर) ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गईं, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह लगभग 11,664 सीकेएम थी। विद्युत पारेषण में परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति के साथ एक ट्रांसमिशन इनविट को प्रायोजित कर रहा है। पारेषण क्षेत्र की अत्यधिक परियोजनाओं के संबंध में एक पूंजीगत पूल बनाने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, सरकार के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है।

वितरण

वितरण संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यह यूटिलिटियों और उपभोक्ताओं के बीच इंटरफेस है। ऐतिहासिक रूप से, विद्युत वितरण सरकारी स्वामित्व वाली यूटिलिटियों का डोमेन रहा है, और वास्तव में 28 राज्य सरकारों के दायरे में है, जिसमें निजी क्षेत्र केवल एक सीमित भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र घाटे में चल रहा है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए राज्य की वितरण कंपनियों और यूटिलिटियों को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपाय करना महत्वपूर्ण हो गया है।

"गैर–तकनीकी क्षतियों" जिसमें बिजली की चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान ने करना शामिल है, को कम करने के लिए, सरकार ने प्रशुल्क में संशोधन, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), स्मार्ट मीटरों को संस्थापित करना आदि जैसी सुदृढ़ सुधार पहल की हैं, जिनसे सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अविद्युतीकृत आवासों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को भी शुरू किया है।

केंद्र सरकार ने देश में कोविड–19 महामारी की पृष्ठभूमि में 13 मई, 2020 को *आत्मनिर्भर भारत* के अंश के रूप में एक लिक्विडिटी इनफ्यूजन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत, आरईसी और पीएफसी ने वितरण कंपनियों को, बिजली देय बकाया राशि और असंवितरित सब्सिडी के रूप में राज्य सरकारों से प्राप्य के समक्ष, रियायती दरों पर विशेष दीर्घकालिक संक्रमणकालीन ऋण दिए हैं, ताकि वे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विद्युत उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा जेनरेटरों के संबंध में 30 जून, 2020 को विद्यमान उनके बकाया देय को चुकाने में समर्थ हो सकें। आरईसी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ₹60,191 करोड़ के लिक्विडिटी इंफ्यूजन ऋण को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत विभिन्न वितरण कंपनियों को ₹39,116 करोड़ की राशि वितरित की है।

विद्युत क्षेत्र नीति परिवेश

वित्त वर्ष 2021–22 के केंद्रीय बजट में विद्युत क्षेत्र के लिए कई सुधार और पहल की गई हैं। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 22,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और नई विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए 15% रियायती कर की दर तय की गई है। राज्यों और संघ–राज्य क्षेत्रों से तीन साल में पारंपरिक ऊर्जा मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बदलने का अनुरोध किया गया है। थर्मल प्लांटों को भी सलाह दी गई है कि यदि वे उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो वे परिचालन बंद कर दें। इसके अलावा, रेल पटरियों के किनारे और रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 27,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण करना है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बंजर खेतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किए जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त, पीपीपी मॉडल के माध्यम से पांच नए स्मार्ट शहरों की स्थापना की जाएगी।

पूर्व में, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना के लिए और पारेषण, उप–पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में सुधार लाने के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लाए गए परिवर्तनों से शुरू करते हुए, बिजली क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय हाइड्रो नीति और मेगा पावर नीति की अधिसूचनाएं देखी गई हैं, जो क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रभावकारिता लाने के संबंध में सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। भारत की हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (एचईएलपी) के सबसे महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम सुधार और कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में समर्पित तेल के आपात स्टॉक के निर्माण के जरिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर देश में ऊर्जा सुरक्षा के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

ऊर्जा अनुसंधान, विकास और परिनियोजन (आरडीएंडडी) के जरिए सरकार, भारत में सोलर पीवी, लिथियम बैटरी, सोलर चार्जिंग अवसंरचना और अन्य उन्नत तकनीकों का उत्पादन करने के संबंध में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कार्य कर रही है। यह भारत की ऊर्जा नीति के लक्ष्यों के साथ–साथ "मेक इन इंडिया" जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का एक मजबूत उपाय हो सकता है। सरकार कूलिंग समाधान, ई–मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड और उन्नत जैव–ईंधन सहित ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में अपने नवीन प्रयासों को भी मजबूत कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसने उदय, सबके लिए बिजली, उजाला जैसी अग्रणी नीतिगत पहलों के जरिए उद्योग के दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया है। यद्यपि वितरण कंपनियों के सुधारों ने सीमित वित्तीय सफलता हासिल की है, हाल ही में नीतिगत बदलावों जैसे भुगतान सुरक्षा तंत्र, बिजली कटौती दंड, विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन आदि, से इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने में एक लंबा रास्ता तय होगा। भारत ने संघ–राज्य क्षेत्रों में अपनी विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण की शुरुआत पहले ही कर दी है। आगे बढ़ते हुए, राज्य की पारेषण कंपनियों के लिए इसी तरह का निजीकरण अभियान चलाया जा सकता है, ताकि सरकारी पूंजी को मुक्त करने और उद्योग कुशलता के साथ समानता बनायी जा सके। इससे प्रतिस्पर्धा की शुरूआत होगी और वितरण कंपनियां अपने निष्पादन मानकों में सुधार करने और अधिक उपभोक्ता–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर होंगी।

उपरोक्त के अलावा, सरकार की *आत्मनिर्भर भारत* पहल ने भारत को त्वरित विकास के पथ पर मजबूती से खड़ा कर दिया है, जो विदेशी पूंजी के आबद्धकारी निवेश हेतु आकर्षक अवसर प्रदान करती है। इस विदेशी पूंजी की एक बड़ी राशि से अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इन्वआईटी) और रियल एस्टेट ट्रस्ट (आरईआईटी) के माध्यम सहित भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में प्रवाह आने की संभावना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति

कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादक उपयोगों के लिए एक निवेश के रूप में बिजली प्रदान करके, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने और तेजी से आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अगस्त 2006 में अधिसूचित किया गया था।

राष्ट्रीय सौर मिशन

राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) को जनवरी 2010 में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और देश के जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और उद्योगों को शामिल किया गया। इस प्रकार, यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयास में भारत द्वारा एक प्रमुख योगदान का निर्माण करता है। मिशन उन कई पहलों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का अंश हैं।

इस मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, देश भर में इसके बड़े पैमाने पर प्रसार हेतु यथाशीघ्र नीतियां तैयार करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी करने और कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों दोनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने के द्वारा वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। मिशन का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावॉट ग्रिड कनेक्टेड सौर क्षमता संस्थापित करना है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम–कुसुम)

पीएम–कुसुम योजना कृषि पंपों को सौर ऊर्जा के द्वारा 3.5 लाख से अधिक किसानों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने संबंधी विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 19 फरवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में पीएम–कुसुम योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रिड 10 गीगावॉट की कुल क्षमता हेतु ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों (2 मेगावाट तक) को संस्थापित करना, 20 लाख स्टैंडअलोन सौर पंपों को संस्थापित करना और 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा प्रदान करना है। तत्पश्चात, 2022 तक 30.80 गीगावॉट सौर क्षमता के आवर्धन के लिए, वित्त वर्ष 2020–21 में योजना का विस्तार किया गया।

राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 14 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति जारी की। नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, पारेषण अवसंरचना और भूमि के इष्टतम एवं प्रभावी उपयोग के लिए व्यापक ग्रिड से जुड़ी पवन–सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। नीति का उद्देश्य पवन और सौर पीवी संयंत्रों के संयुक्त संचालन को शामिल करते हुए नई प्रौद्योगिकियों, विधियों और तरीकों को बढ़ावा भी देना है।

पवन–सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करेगी। किसी पवन–सौर संयंत्र को हाइब्रिड के रूप में मान्यता दी जाएगी, यदि किसी संसाधन की निर्धारित विद्युत क्षमता अन्य संसाधन की निर्धारित विद्युत क्षमता की न्यूनतम 25% हो। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) पवन–सौर

हाइब्रिड प्रणालियों के लिए मीटरिंग कार्यप्रणाली और मानक, पूर्वानुमान और निर्धारित/शेड्यूलिंग, विनियम कनेक्टिविटी प्रदान करने और पारेषण लाइनों को साझा करने आदि सहित आवश्यक मानक और नियम तैयार करेंगे।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 3 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत ''दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'' (डीडीयूजीजेवाई), ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करती एक एकीकृत योजना, को शुरू किया। इस योजना में ₹43,033 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय है, जिसमें भारत सरकार से ₹33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। योजना के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और निर्धारित उपलब्धियों की प्राप्ति पर 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) तक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। सभी पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अर्थात् आरजीजीवीवाई सहित) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। आपकी कंपनी डीडीयूजीजेवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) निम्नलिखित परियोजना घटकों के जरिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सबके लिए 24x7 बिजली' उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करती है:

क) कृषि और गैर–कृषि फीडरों का पृथक्करण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर–कृषि उपभोक्ताओं को सतत् रूप से गुणवत्तापूर्ण विद्युतापूर्ति को सुकर बनाता है;

ख) उप–पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और आवर्धन;

ग) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ–ग्रिड वितरण नेटवर्क;

घ) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और

ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण घटक (पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं सहित)।

15 अगस्त, 2015 को, माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि देश के सभी शेष 18,452 गैर–विद्युतीकृत (यूई) गांवों को राज्यों की सहायता से 1,000 दिनों के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जाएगा। यह कार्य मिशन आधार पर किया गया था और 28 अप्रैल, 2018 तक देश के सभी जनगणना वाले गांवों में विद्युतीकरण किया गया।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 तक की प्रमुख उपलब्धियों में 2,34,193 वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग, 7,88,978 सीकेएम का फीडर पृथक्करण (11 केवी लाइनों सहित), 14,021 संख्या में 11 केवी फीडरों की मीटरिंग और 7,098 सब–स्टेशनों की कमीशनिंग (संवर्धन सहित) शामिल है।

सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलता के साथ, देश के प्रत्येक गांव और जिले में आवास विद्युतीकरण पर और ध्यान दिया गया था। इस प्रयोजनार्थ, भारत सरकार ने दिनांक 25 सितंबर, 2017 को ₹16,320 करोड़ (₹12,320 करोड़ की कुल बजटीय सहायता सहित) की कुल लागत के साथ प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को शुरू किया। योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक आवास विद्युतीकरण प्राप्त करना है, जिसमें अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के जरिए बिजली की पहुंच का निर्माण आवश्यक है। जहां कहीं ग्रिड कनेक्टिविटी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं एवं वित्तीय रूप से किफायती नहीं है, वहां विद्युतीकरण के लिए सौर–आधारित ऑफ–ग्रिड प्रणालियों का सहारा लिया लिया जाता है। आरईसी को सौभाग्य योजना के संचालन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

क) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए अंतिम मील तक कनेक्टिविटी और बिजली के कनेक्शन;

ख) शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से गरीब गैर–विद्युतीकृत आवासों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली के कनेक्शन प्रदान करना। गरीबी से बाहर शहरी आवासों को इस योजना से बाहर रखा गया है;

ग) दूरस्थ और दुर्गम गांवों/हेबिटेशनों में स्थित अविद्युतीकृत आवासों के लिए सौर फोटो–वोल्टेक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड लगाना व्यावहारिक या किफायती नहीं है।

योजना के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय ने 26 राज्यों और संघ–राज्य क्षेत्रों के लिए ₹14,109 करोड़ (₹9,093 करोड़ के अनुदान सहित) की राशि स्वीकृत की गई, जिसके तहत 31 मार्च, 2021 तक ₹8,736.90 करोड़ (₹5,393.59 करोड़ के अनुदान सहित) की राशि जारी की गई है। यह उल्लेखनीय है कि सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना

वित्त वर्ष 2015–16 में, भारत सरकार ने "उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना" (उदय) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन लाना और उनका पुनरुद्धार करना है। उदय योजना निम्नलिखित पहलों के जरिए वितरण कंपनियों को उनके संबंधित समझौता ज्ञापन अवधि के अंत तक अवसर प्रदान करके सशक्त बनाती है:

क. वितरण कंपनियों की प्रचालन कुशलता में सुधार करना;

ख. विद्युत की लागत कम करना;

ग. वितरण कंपनियों की ब्याज लागत कम करना; और

घ. राज्य की वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप वितरण कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना।

इस कार्यक्रम को पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों और वितरण कंपनियों से महत्वपूर्ण विकर्षण मिला है, क्योंकि 32 राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र अब उदय योजना में शामिल हैं। यह योजना उत्साहजनक परिणाम प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि राज्य सरकारों ने वितरण कंपनियों की देनदारियों का भार अपने ऊपर ले रही हैं, इस प्रकार वितरण कंपनियों के तुलन–पत्रों का शोधन किया जा रहा है और पूंजीगत व्यय चक्र को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें समर्थ बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) भारत सरकार की एक ब्याज सब्सिडी योजना है, जो वितरण क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटियों/वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान में ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना में, दो वित्त वर्षों अर्थात् 2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए ₹23,973 करोड़ की राशि के ऋण संवितरण पर भुगतान किए गए ब्याज के समक्ष 14 वर्षों में प्रदान किए जाने वाले ₹8,466 करोड़ (ब्याज सब्सिडी और अन्य आकस्मिक खर्चों के समक्ष) की राशि का प्रावधान है। यह योजना सुधार से जुड़ी है और राष्ट्रीय विद्युत निधि के दिशानिर्देशों में रेखांकित सुधार–आधारित मापदंडों की उपलब्धि पर वितरण कंपनियों को 3% से 7% की ब्याज सब्सिडी देय है। आरईसी, राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है और 31 मार्च, 2021 तक, योजना के तहत ₹448.70 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों के उप–वितरण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए दिनांक 3 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत ₹65,424 करोड़ के परिव्यय के साथ "एकीकृत विद्युत विकास योजना" (आईपीडीएस योजना) को अनुमोदित किया है, जिसमें (i) उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और (iii) आर–एपीडीआरपी के अनुमोदित परिव्यय को पृथक घटक के रूप में आईपीडीएस कार्यक्रम में अग्रेणीत करने के द्वारा 12वीं एवं 13वीं योजनाओं के लिए आर–एपीडीआरपी (पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वितरण क्षेत्र का आईटी समर्थीकरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, आर–एपीडीआरपी के पूर्ववर्ती योजना और उसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में आमेलित कर दिया गया है। योजना का वित्तीय प्रतिरूप डीडीयूजीजेवाई योजना के समान है।–

सबके लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति

सबके लिए अफोर्डेबल एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला), देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मई 2015 में 77 करोड़ इन्कैंडिसेंट लैंपों (बल्बों) को एलईडी (लाइट–एमिटिंग डायोड) बल्बों से बदलने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। उक्त योजना के तहत, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), आपकी कंपनी और विद्युत क्षेत्र के अन्य तीन सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है, जो घरेलू उपभोक्ताओं को कम कीमत पर एलईडी बल्ब प्रदान करता है। एलईडी बल्ब की उपयोगिता अवधि अपेक्षाकृत लंबी होती है और ये पुराने बल्ब और सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप) की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा कुशल होते हैं, इस प्रकार मध्यम अवधि में ऊर्जा और लागत दोनों की बचत होती है। सरकार द्वारा अब तक लगभग 37 करोड़ एलईडी बल्ब, 72 लाख ट्यूबलाइट और 23.5 लाख ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में प्रति वर्ष ₹19,087 करोड़ से अधिक की बचत हुई है, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड में 386 लाख टन से अधिक की कमी हुई है।

इसके अतिरिक्त, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) के तहत, ईईएसएल अखिल भारत में पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से, अपनी लागत पर, नगरपालिकाओं द्वारा निवेश करने की आवश्यकता के बिना, बदल रहा है। नगर पालिका की ऊर्जा और रखरखाव लागत में आयी कमी का उपयोग ईईएसएल को समय पर चुकाने के लिए किया जाता है। अभी तक, ईईएसएल ने पूरे भारत में शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में 1.19 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की हैं। इसके परिणामस्वरूप 1,332 मेगावॉट की शीर्ष मांग के परिवर्जन के साथ ऊर्जा में प्रति वर्ष 7.99 बिलियन केडब्ल्यूएच की अनुमानित बचत हुई है, प्रति वर्ष 5.51 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के जीएचजी उत्सर्जन में कमी हुई और नगरपालिकाओं के बिजली बिलों में 5,631 करोड़ की वार्षिक वित्तीय बचत का अनुमान है।

ईईएसएल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी लाईटिंग व्यवस्था के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं के लिए एसएलएनपी के समान सेवा मॉडल पर ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाओं को लागू कर रहा है। अब तक ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा और तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में 26 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की हैं।

पारदर्शिता और ऑनलाइन ऐप्प

हाल ही में किए गए सभी मुख्य बिजली–क्षेत्र सुधार पहल कार्यों में पारदर्शिता पर मुख्य ध्यान दिया गया है। मंत्रालय के कामकाज एवं कार्यनिष्पादन और इसके द्वारा शुरु की गई विभिन्न सुधार पहलों को ट्रैक करने के संबंध में हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न मोबाइल ऐप्प और वेबसाइट लॉन्च की हैं। इनमें 'उदय ऐप्प', जो उदय योजना की प्रगति पर अपडेट देती है, 'उजाला ऐप्प', जो एलईडी बल्ब वितरण पर अपडेट प्रदान करती है, 'विद्युत प्रवाह ऐप्प', जो बिजली की कीमत और उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी देती है, 'तरंग ऐप्प', जो भारत में पारेषण प्रणाली की प्रगति की निगरानी करती है और 'ऊर्जा मित्र ऐप्प', जो नागरिकों को वितरण कंपनियों की वास्तविक समय और ऐतिहासिक आउटेज जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, शामिल हैं।

उपरोक्त नीतियों एवं पहलों के अलावा, भारत सरकार ने बिजली क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार के लिए विभिन्न अन्य कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021, मसौदा विद्युत संशोधन अधिनियम, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, पंप हाइड्रो स्टोरेज नीति, ऊर्जा कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, नेशनल ई–मोबिलिटी प्रोग्राम आदि। सरकार ने सब्सिडी के बेहतर लक्ष्य बनाने, खुदरा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के लिए बिजली क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को लागू करने सहित बिजली क्षेत्र के सुधारों की तैयारी की है। ये पहलें और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के प्रयास, निकट भविष्य में इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाकर बिजली क्षेत्र को फिर से परिभाषित करेगी।

अवसर और क्षमता

आरईसी ने 1969 में स्थापना के समय से ही देश में विद्युत अवसंरचना के विकास में सफलतापूर्वक योगदान दिया है। प्रारंभ के वर्षों में पंप–सेट सिंचाई प्रणालियों के ऊर्जायन से शुरू होकर, वर्तमान में बिजली क्षेत्र का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान बनने तक, आरईसी ने एक लंबा सफर तय किया है।

यद्यपि कोविड–19 महामारी ने समग्र रूप से व्यापार और उद्योग के लिए कई चुनौतियां पेश की हैं, वहीं इसने बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए अद्वितीय अवसर भी प्रदान किए हैं। इनमें विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, विद्युत अधिकार उपभोक्ता नियम का मसौदा, वास्तविक समय बाजार विनियम और संघ–राज्य क्षेत्रों और राज्य वितरण कंपनियों के रिटेल घटक और वितरण का निजीकरण शामिल है। इन सुधारों से बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के वितरण घटक में अत्यावश्यक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावकारिता का संचार होगा।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ–साथ हाइड्रोजन–आधारित ऊर्जा और स्मार्ट मीटरिंग की दिशा में महत्वाकांक्षी परिवर्तन की कार्रवाई अग्रसर है। इसके साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे वितरण कंपनियों के पुनरुद्धार और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वितरण कंपनी की व्यवहार्यता पर सबसे महत्वपूर्ण फोकस को एक महत्वपूर्ण अपूर्ण कार्यसूची के रूप में माना गया है। वितरण कंपनी की अवसंरचना के अद्यतन के लिए परिणाम और सुधार से जुड़ा ₹3 लाख करोड़ से अधिक का वित्तीय पैकेज पांच वर्षों की एक दूरदेशी योजना है। इससे वितरण अवसंरचना विकास, फीडर पृथक्करण और स्मार्ट मीटर लगाने में सहायता मिलेगी। उद्योग इस पैकेज की प्रकृति, और यह अन्य केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं कैसे पूरक होगा, के विवरण की प्रतीक्षा कर रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा अपना बिजली आपूर्तिकर्ता का चयन करने संबंधी प्रस्ताव से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और दक्षता में सुधार करने में सहायता करेगा, जैसा कि वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की मंशा होगी।

अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इन्वआईटी) मॉडल के जरिए पारेषण परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण एक आशाजनक कदम है, जो विद्युत उत्पादन की तीव्र गति और बढ़ती मांग से मेल खाती पारेषण क्षमता के आवर्धन में सहायता करेगा। एसईसीआई और आईआरईडीए के पूंजीकरण का विस्तार, जो विद्युत क्षेत्र के लिए लाइटहाऊस संगठन हैं, नवीकरणीय ऊर्जा घटक को भी बढ़ावा देगा। रियल एस्टेट ट्रस्ट (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इन्वआईटी) निवेशकों को लाभांश भुगतान पर टीडीएस से छूट देने और एक विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव, अन्य अवसंरचना के अलावा विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए स्वागत योग्य उपाय हैं।

सरकार ने वित्त वर्षों 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को ₹111 लाख करोड़ आवंटित किए थे, जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र का अंश 24% है। वित्त वर्ष 2019–25 के दौरान अवसंरचना क्षेत्रों के लिए अनुमानित कुल पूंजीगत व्यय ₹102 ट्रिलियन है, जिसमें से पारंपरिक बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए परिव्यय क्रमशः ₹11.8 बिलियन और ₹9.3 बिलियन है। जबकि निजी क्षेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में प्रमुख रहने की संभावना है, पारंपरिक और परमाणु ऊर्जा में निवेश बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र से आएगा। वितरण के लिए निवेश के अवसरों को बढ़ाना चुनौती होगा, क्योंकि वितरण अवसंरचना का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार करना और वितरण कंपनियों के वित्त में सुधार के बिना, बढ़ती उत्पादन क्षमता अनावश्यक होगा और डाऊन लाइन भारी विवादों से घिरी होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि के सहायतार्थ घरेलू विनिर्माण का विस्तार करना आवश्यक है। सोलर इनवर्टर और सोलर लालटेन पर शुल्क से सहायता मिलेगी, बशर्ते कि मौजूदा परियोजनाएं प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित हों। सोलर सैल और पैनलों के लिए चरणबद्ध स्थानीय निर्माण योजना लंबे समय में सोलर सैल और मॉड्यूल के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायता करेगी, और *आत्मनिर्भर भारत* की दिशा में योगदान देगी। बैटरी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, नवीकरणीय ऊर्जा और ई–मोबिलिटी क्षेत्रों के लिए सकारात्मक प्रभाव के साथ देश में भंडारण निर्माण के लिए ईकोसिस्टम में भी संवर्धन करेगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एक स्थायी, भविष्य के ऊर्जा मिश्रण को प्राप्त करने और ऊर्जा भंडारण का समर्थन करने में मदद करेगा। एक अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2030 तक सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संचयी बिक्री बढ़कर 100 मिलियन यूनिट से अधिक हो जाएगी।

आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कार्यनीति स्थिति और विशेषज्ञता को देखते हुए, देश में अग्रणी सरकारी सुधारों और देश में प्रति व्यक्ति बिजली की मांग में वृद्धि से उत्पन्न आर्थिक विकास द्वारा प्रस्तुत मौजूदा एवं उभरते अवसरों के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

खतरे, जोखिम और चिंताएं

आरईसी का कार्यनिष्पादन और उसके कारोबार का विकास, संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन पर निर्भर है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जीडीपी को हुए नुकसान और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के कारण भी मांग में कमी आई है। विश्व अभी भी कोविड–19 महामारी की नई लहरों और रूपों का सामना कर रहा है, जो सभी भौगोलिक क्षेत्रों और सेक्टरों के लिए नई चुनौती है। विद्युत क्षेत्र को भी परियोजना निष्पादन कार्यक्रम में व्यवधान, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के कारण होने वाली देरी, वित्त व्यवस्था पर दबाव और लिक्विडिटी की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

कोविड–19 के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव ने 2020 के दौरान ऊर्जा बाजारों को भी प्रभावित किया है। बिजली की नेगेटिव मांग, कोयला आधारित क्षमता का कम उपयोग तथा वितरण और उत्पादन क्षेत्रों में बढ़ते वित्तीय दबाव ने नवीकरणीय ऊर्जा सहित विद्युत क्षेत्र के निष्पादन को प्रभावित किया।

विद्युत उत्पादन कारोबार में प्रवेश करने के लिए प्रारंभ में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ईंधन लिंकेज, भुगतान सुरक्षा और रिटेल वितरण जैसी बाधाएं हैं। कई प्लेयरों के लिए पर्याप्त स्थान होने के बावजूद, इनपुट की कमी और नियामक बाधाओं ने नए प्रवेशकों को निराश किया है। सौर ऊर्जा का व्यापार एक ऐसा घटक है, जो अति महत्वाकांक्षी प्रशुल्क के कारण अभी तक उठ नहीं सका है। हालांकि, यह भविष्य में मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र के नजरिए से भी एक अवसर हो सकता है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी समर्थीकरण, नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और ऊर्जा दक्षता समाधान के जरिए, दक्षता सुधार उपायों से भविष्य में विभिन्न हितधारकों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करने की संभावना है।

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में प्रमोटरों की इक्विटी विवशता भी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी और परिणामी लागत एवं समय की अधिकता का कारण बनती है। अपने ऋण संबंधी दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ताओं की विफलता कंपनी के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे दबावग्रस्त परिसंपत्तियां सृजित होती हैं और कंपनी की कम लागत निधियों को जुटाने की क्षमता प्रभावित होती है। भारतीय पूंजी बाजार लगातार विकसित हो रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है। उधारकर्ताओं के सीधे बाजार तक पहुंचना शुरू करने की स्थिति में, यह कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी, प्रचलित प्रकटन मानदंड, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति, सीमित ईंधन की उपलब्धता, उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों (एटी एंड सी), बाजार में नए प्लेयरों के प्रवेश, बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अनिश्चित कारोबारी परिवेश, रुपए में उतार–चढ़ाव, अस्थिर बाजार स्थितियों के कारण पूंजीगत लागत में संभावित वृद्धि, बिजली की कम मांग और अगले 5 वर्षों में पारंपरिक उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने के कारण भी चिंतित है। इसके अलावा, देश में कारोबार की स्थिति और नीतिगत परिवेश का ब्याज दर व्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव है, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, विद्युत परियोजनाओं की निर्माणपूर्व अवधि और इसके लिए आवश्यक पूंजी परिव्यय पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। सामान्य आर्थिक स्थितियों से विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर भी सीधा असर पड़ सकता है, जो उधारकर्ताओं की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

दूसरी ओर, सरकार विद्युत क्षेत्र को पुनरुद्धार पथ पर लाने के लिए कई पहल कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में, सबके लिए 24x7 बिजली, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, उदय, आईपीडीएस, आउटेज प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग योजना, राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल का विकास, *आत्मनिर्भर भारत* के तहत पैकेज की घोषणा और क्षेत्र में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान सहित काफी सुधार हुए हैं। ऐसी पहलें, कम लागत पर संसाधन जुटाने और सर्वोत्तम रिटर्न वाले अवसरों में उनके नियोजन को सुनिश्चित करने के साथ, कंपनी के सतत विकास और लाभकारिता के लिए मुख्य कारक होंगे।

घटक–वार या उत्पाद–वार प्रदर्शन

आरईसी एक प्रमुख गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। आरईसी के प्रमुख उत्पाद में राज्य यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं को ब्याजयुक्त ऋण हैं। कंपनी के पास कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य घटक नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 1,54,820.87 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 39,613.53 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 17,171.34 करोड़ रुपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 19,492.75 करोड़ रुपए, *आत्मनिर्भर भारत* के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी निषेचन योजना के लिए 60,191.36 करोड़ रुपए और अल्पावधिक व मध्यावधिक ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 4,750.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा, ₹13,601.89 करोड़ की बकाया राशि, जिस पर आरबीआई के निर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसार स्थगन बढ़ाया गया था, को भी उपरोक्त संस्वीकृतियों में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 92,987.49 करोड़ रुपए की कुल धनराशि वितरित की है, जिसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 25,929.76 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3,265.13 करोड़ रुपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 19,301.22 करोड़ रुपए, *आत्मनिर्भर भारत* के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी निषेचन योजना के लिए 39,115.50 करोड़ रुपए और अल्पावधिक व मध्यावधिक ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 3,900.79 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कि भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत 1,475.09 करोड़ रुपए के काउंटर–वित्तपोषण के अतिरिक्त है। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने भारत सरकार से 4,940.62 करोड़ रुपए की कुल सब्सिडी अर्थात डीडीयूजीजेवाई के तहत 4,527.01 करोड़ रुपए, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी के तहत 25.49 करोड़ रुपए और सौभाग्य योजना के तहत 388.12 करोड़ रुपए, भी संवितरित की है।

आउटलुक

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के बावजूद वर्ष 2021 के लिए विद्युत क्षेत्र का दृष्टिकोण उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विद्युत उत्पादन में 5% से 7% की वृद्धि होने की संभावना है। बिजली की मांग में लगातार सुधार होने और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ, यह क्षेत्र वर्तमान में रिकवरी कर रहा है। वर्ष 2020 में घोषित सुधारों, अर्थात् संघ–राज्य क्षेत्रों में वितरण कंपनियों के निजीकरण और वितरण यूटिलिटियों के लिए ₹90,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी इन्फ्यूजन योजना ने उपभोक्ता अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया है और एक बेहतर संरचित विद्युत क्षेत्र के लिए मंच तैयार किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा का शेयर देश की कुल मिश्रित ऊर्जा में लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का सभी वितरण कंपनियों को 2021–22 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का कम से कम 21% खरीदने संबंधी निर्देश, इस क्षेत्र के लिए अच्छा है, जो पिछले साल लॉकडाउन के दौरान अधिक तन्यक था।

जिन परियोजनाओं को 2020 के दौरान चालू करने या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का सामना करना पड़ा, उनके 2021 में विकास या पूरा होने की संभावना है। अन्य सुधारात्मक उपायों के साथ–साथ वितरण कंपनियों के निजीकरण से अधिक परिचालन दक्षता और बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा के साथ बेहतर वित्तीय निष्पादन की संभावना है। वर्ष 2020 में घोषित उत्पादन संबद्ध योजना भी एक स्वागत योग्य उपाय है। लंबे समय में, एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ विद्युत वितरण प्रणाली, जो स्केलेबल, बाजार आधारित और निजी क्षेत्र के हितधारकों को नियोजित करती है, वितरण कंपनियों, फ्रेंचाइजियों और ग्राहकों को लाभान्वित करने वाला ट्रिपल–विन मॉडल तैयार करेगी। यह सबके लिए विश्वसनीय और स्वच्छ बिजली की पहुंच उपलब्ध कराने में भारत सरकार के प्रयासों में भी सहायता करेगा।

वित्त वर्ष 2021–22 में बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद, थर्मल ऊर्जा क्षेत्र के विद्युत उत्पादन एवं वितरण घटकों के लिए आईसीआरए का क्रेडिट आउटलुक नकारात्मक बना हुआ है। हालांकि, समय पर भुगतान की प्राप्ति और एनर्जी बास्केट में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण, पारेषण सेगमेंट का क्रेडिट आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है।

वित्त वर्ष 2021–22 में, टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आशावादी, प्रत्याशित आर्थिक गतिविधियों के उच्च स्तर के साथ विद्युत उत्पादन और उपभोग में सुधार होने की संभावना है। इसके साथ ही, महामारी के प्रभावी नियंत्रण से संबंधित अनिश्चितता और क्षेत्रों में दीर्घकालिक प्रतिबंधों की संभावना से, आर्थिक पुनरुद्धार में संधारणीयता और बिजली की मांग के संबंध में जोखिम भी है।

पुरस्कार और सम्मान

कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न पुरस्कार और मान्यता भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक्सचेंज4मीडिया द्वारा महिला अचीवर्स अवार्ड्स 2020 में महिला सशक्तीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन, निगमित शासन के लिए 10वां पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार (महारत्न और नवरत्न श्रेणी में उपविजेता), कोविड पर प्रतिक्रिया के लिए स्कोच पुरस्कार, सीएसआर उत्कृष्टता 2020 के लिए महात्मा पुरस्कार, सीएसआर, आईटी, पर्यावरण और मानव संसाधन श्रेणियों में राष्ट्रीय पीएसयू उत्कृष्टता पुरस्कार और महिला सशक्तीकरण के लिए सीएसआर शाइनिंग स्टार पुरस्कार शामिल हैं। आरईसी की कारपोरेट संचार टीम को रेपुटेशन टुडे द्वारा भारत में शीर्ष 30 कारपोरेट संचार टीमों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने विभिन्न लेनदेनों की सटीक और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालनों की कुशलता और सांविधिक नियमों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रणों की एक पर्याप्त प्रणाली का रखरखाव किया है। लेखांकन के लिए शक्तियों के उपयुक्त प्रत्यायोजन और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, ताकि एकसमान अनुपालन किया जा सके। आरईसी में अपने ईआरपी प्रचालनों और ई–ऑफिस तंत्र को स्थापित किया गया है, जिससे कि न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ आईटी आधारित प्रचालन सुनिश्चित किए जा सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन मौजूद है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्रम में है, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग या बाहरी प्रोफेशनल लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा विभिन्न प्रभागों और कार्यालयों की नियमित और संपूर्ण रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों की समीक्षा लेखापरीक्षा भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा ऐसे कार्यालयों के लिए आयोजित की जाती है जहां आंतरिक लेखापरीक्षा लगातार तीन वर्षों से आउटसोर्स की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा में, वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिनिर्धारित किए गए महत्वपूर्ण/जोखिम वाले क्षेत्रों सहित कंपनी के प्रचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति समय–समय पर कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्धारित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

वित्तीय एवं संक्रियात्मक कार्यनिष्पादन

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के लिए अपने बकाया की समय पर वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के संबंध में देय राशि ₹71,680.23 करोड़ (कोविड–19 अधिस्थगन नीति के अनुसार ₹13,601.89 सहित), जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह राशि ₹62,340.60 करोड़ थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए कुल ₹71,424.90 करोड़ की वसूली की, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह राशि ₹61,945.04 करोड़ थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 में 99.64% रिकवरी रेट प्राप्त किया।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) से संबंधित चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि ₹1,112.46 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों (चरण III) से ₹330.50 करोड़ की राशि वसूल की गई, जबकि वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ₹614.69 करोड़ की राशि वसूली की गई थी। आपकी कंपनी की क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) निम्न स्तर पर बनी हुई हैं। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सकल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति (चरण III) ₹18,256.93 करोड़ अर्थात् सकल ऋण परिसंपत्ति का 4.84% और निवल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियां (चरण III) ₹6,465.61 करोड़, अर्थात ऋण परिसंपत्तियों का 1.71% थी।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान स्टैंडअलोन आधार पर आरईसी की प्रचालन आय ₹35,387.89 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹29,765.21 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कर पूर्व लाभ ₹10,756.13 करोड़ था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹6,983.29 करोड़ था। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए निवल लाभ और कुल व्यापक आय क्रमशः ₹8,361.78 और ₹8,818.30 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹4,886.16 करोड़ और ₹4,336.37 करोड़ थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 को आरईसी की निवल संपत्ति ₹43,426.37 करोड़ थी, जो 31 मार्च, 2020 को इसकी ₹35,076.56 करोड़ की निवल संपत्ति से 23.80 प्रतिशत अधिक थी।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

कंपनी के लिए लागू और विशिष्ट प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तनों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
ब्याज कवरेज अनुपात (गुणक में)	**1.50**	1.37
ऋण इक्विटी अनुपात (गुणक में)	**7.40**	7.94
प्रचालन लाभ मार्जिन (%)	**30.33**	23.25
निवल लाभ मार्जिन (%)	**23.61**	16.38
सकल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति (चरण–III) (%)	**4.84**	6.59
निवल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति (चरण–III) (%)	**1.71**	3.32

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी का प्रचालन लाभ बढ़कर ₹10,733.58 करोड़ हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019–20 में यह ₹6,919.37 करोड़ था। वित्त वर्ष 2019–20 में प्रचालन लाभ मार्जिन 23.25 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2020–21 में 30.33 फीसदी हो गया है। शुद्ध लाभ मार्जिन भी वित्त वर्ष 2019–20 में 16.38% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020–21 में 23.61% हो गया है। प्रचालन लाभ और शुद्ध लाभ मार्जिन में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय रुपए के मुकाबले विदेशी मुद्रा के फेवरेबल मूवमेंट से हुई थी।

वित्त वर्ष 2019–20 में कंपनी की सकल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति 6.59% से घटकर वित्त वर्ष 2020–21 में 4.84% हो गई, जो क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के समाधान/पुनर्संरचना और उनके परिणामस्वरूप मानक परिसंपत्तियों में अपग्रेड होने के कारण है। कंपनी की निवल क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति भी वित्त वर्ष 2019–20 में 3.32% से घटकर वित्त वर्ष 2020–21 में 1.71% हो गई, जो सकल एनपीए में कमी और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्ति के प्रावधान कवरेज अनुपात में वृद्धि के कारण है।

निवल संपत्ति पर कंपनी का रिटर्न वित्त वर्ष 2019–20 में 14.09% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020–21 में 21.30% हो गया, जो मुख्य रूप से कंपनी के मुनाफे में वृद्धि के कारण है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल जनशक्ति 428 कर्मचारी थी, जिसमें 366 कार्यपालक और 62 गैर–कार्यपालक कर्मचारी शामिल थे।

महामारी के समय में भी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के 179 कर्मचारियों ने अपने व्यावसायिक कौशल के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया, 329 प्रशिक्षण श्रम–दिवस की स्थिति को प्राप्त किया।

औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑनलाइन के साथ–साथ व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों के साथ नियमित बातचीत की गई, जिससे विश्वास और सहयोग का माहौल बनाने में सहायता और इसलिए, एक प्रेरित कार्यबल प्राप्त हुआ।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत् विकास

आरईसी के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत् विकास संबंधी पहलों का अनुसरण समुदाय, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने पर मुख्य ध्यान देने के साथ किया जाता है। कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधियों को "आरईसी फाउंडेशन" के माध्यम से क्रियान्वित करती है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने स्वास्थ्य देखभाल (वृद्धावस्था और दिव्यांगजन सहित), सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹154.47 करोड़ की कुल राशि स्वीकृत की। सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना मोड में आधारभूत सर्वेक्षण, विशिष्ट परियोजना समय सीमा, निर्धारित उपलब्धियों, आवधिक मॉनीटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन के साथ किया जाता है।

सीएसआर परियोजनाओं के लिए संवितरण पूर्व–निर्धारित उपलब्धियों और डिलिवरेबल्स की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹144.32 करोड़ के सीएसआर बजट के समक्ष विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹147.77 करोड़ की कुल राशि का वितरण किया। इसमें पीएम केयर्स फंड में ₹50 करोड़ का योगदान शामिल है।

कार्यनीति

विद्युत उत्पादन के मोर्चे पर, इस क्षेत्र में विभिन्न नए कारोबार के अवसर हैं, जैसे कि आगामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन, लघु हाइड्रो, बायोमास), बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं में निवेश, सोलर रूफ–टॉप परियोजनाओं और सौर पार्कों में निवेश, कुसुम परियोजनाओं (ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत संयंत्रों) में निवेश, मौजूदा थर्मल पावर प्लांटों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, पुराने बिजली संयंत्रों का प्रतिस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे एफजीडी (फ्लू–गैस डिसल्फराइजेशन) आदि की स्थापना शामिल है। आरईसी थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की कुशल आपूर्ति के लिए समर्पित अपस्ट्रीम अवसंरचना को वित्तपोषित करने पर भी विचार कर रहा है। कंपनी ने कोयला खदानों के विकास के लिए वित्त परिचालन पहले ही शुरू कर दिए हैं।

देश में पारेषण और वितरण परिदृश्य भी उपभोक्ताओं द्वारा 24x7 बिजली की मांग को पूरा करने के लिए और अधिक मजबूती के लिए तैयार है, इस प्रकार नेटवर्क के अतिरिक्त और वृद्धि, भूमिगत केबलिंग, स्मार्ट मीटर/उपकरण, एएमआई/एएमआर अवसंरचना और स्मार्ट ग्रिड में नए निवेश की आवश्यकता है। प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के तहत समर्पित ग्रीन कॉरिडोर और नए नेटवर्क के निर्माण के लिए भी निवेश की आवश्यकता होगी। सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को कवर करने वाली, सरकार की सौभाग्य योजना की सफलता को देखते हुए, उपभोक्ता स्तर पर, बिजली के लिए और अप्रत्यक्ष मांग सृजित की जाएगी।

आगामी कारोबारी अवसरों को कैप्चर करने और अपने हितधारकों के लिए अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए, आरईसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय विकास संगठनों, जिसमें केएफडब्ल्यू, जेआईसीए, विश्व बैंक, आईएफसी, एशियाई विकास बैंक, एसडीएफ आदि

शामिल हैं, के साथ निकटतम व्यावसायिक भागीदारी का निर्माण कर रहा है। कंपनी को प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने में सक्षम बनाएगा। भावी वर्षों में, आरईसी देश और उसके बाहर बिजली क्षेत्र के विकास में सबसे आगे रहेगा।

अपनी कारोबारी कार्यनीति के अंश के रूप में, आरईसी ने भूटान में खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड की 600 मेगावाट की जल–विद्युत परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है। आरईसी न केवल एक फंडिंग पार्टनर के रूप में, बल्कि अपनी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भी उचित समय पर नए उभरते क्षेत्रों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। आरईसी बाजार में चल रहे और आगामी परिवर्तनों का गहनता से पालन कर रहा है और अपने हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए उचित निर्णय लेगा।

जोखिम प्रबंधन तंत्र

कंपनी में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें संगठन के क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) भी है। आरएमसी का मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना एवं उनकी मॉनीटरिंग करना और उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई का सुझाव देना है। इसके अलावा, कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को भी नियुक्त किया है, जैसा कि आरबीआई के मानदंडों के तहत आवश्यक है।

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम सहित अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान की है; और उनको कम करने के लिए समुचित उपाय किए हैं।

क्रेडिट जोखिम वित्तपोषण उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी और ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर उधारकर्ता के चूक से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम शामिल है। दूसरी ओर, प्रचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। लिक्विडिटी जोखिम देनदारियों को पूरा करने में संभावित अक्षमता का जोखिम है, क्योंकि वे देय हो जाते हैं; और इसमें कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि को निधि देने, फंडिंग स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता शामिल है। कंपनी के बाजार जोखिम को बाजार की ब्याज दर या प्रतिभूतियों की कीमतों, विदेशी मुद्रा के साथ–साथ परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण कंपनी की कमाई और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम आदि शामिल हैं।

ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए, कंपनी ने व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। कंपनी संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है, जिसमें विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण–जोखिम को कम करने के उपाय शामिल हैं। सभी प्रकार्यात्मक क्षेत्रों, जैसे व्यवसाय, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी, प्रचालन और रणनीति को कवर करते हुए एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के माध्यम से प्रचालन जोखिमों को 'उच्च', 'मध्यम' या 'निम्न' जोखिम श्रेणियों के रूप में मापा और वर्गीकृत किया गया है। कंपनी अनुमानित संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित कार्यनीतियों के मिश्रित माध्यम से अपने लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके अलावा, बाजार जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) है, जो नियमित रूप से बैठक करती है। कंपनी की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति और एक हेजिंग नीति भी है।

सचेतक टिप्पणी

"प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" अनुभाग में कुछ कथन भविष्योन्मुखी हो सकते हैं और लागू कानूनों और विनियमों द्वारा अपेक्षित बताए गए हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जो भावी निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।